

25/11/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 07/11/22 को पेश हो।

07/12/2022

पत्रावली पेश हुई। प्राचीन वकील उषा
उंकि इलबाद को निस्तारणा कर दिखर 11/12/22
अब एत आतेदन को भागे चलाने का कोई
अधिकार नहीं है। अतः एत आतेदन की
कार्यवाही अभी न्याय पर प्रमाण की जाती है
पत्रावली में प्रमाण शुभार होकर प्राचीन कर्म
को। इलबाद के निम्न हो।

[Handwritten Signature]

